(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1116–पीबीआर/09 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–9–2008 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर, प्रकरण क्र. 192/बी–105/2007–08/48(ख)

श्रीमती कुसुम पति कमलकिशोर गोयल,
निवासी 15/1, पारसी मोहल्ला इंदौर

.....आवेदिका

विरूद्ध

1–शासन कलेक्टर ऑफ स्टाम्प इंदौर

.....अनावेदक

2–सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा इंदौर

.....फार्मल अनावेदक

.....

श्री के0के0गोयल, अभिभाषक, आवेदिका

श्री हेमन्त मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

श्री सी0पी0सिंह, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/5/14 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–9–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपपंजीयक द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाख यशबंत निवास रोड, इंदौर के निरीक्षण में पाया कि कब्जा रहित अनुबंध पत्र 100/– के स्टाम्प पेपर पर मुद्रांकित कराया गया है जो कि अपर्याप्त मुद्रांकित है । तदानुसार कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तत करने पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 48(ख) के तहत कमी मुद्रांक शुल्क एवं अर्थदण्ड की वसूली हेतु

प्रकरण कमांक 192/बी–105/07–08/48(ख) दर्ज कर दिनांक 2–9–08 को आदेश पारित कर रुपये 8,000/– मुद्रांक शुल्क एवं रुपये 100/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर कुल रुपये 8,100/– जमा कराने के आदेश दिये गये । तदोपरांत संशोधित आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क 8,710/– एवं अर्थदण्ड रुपये 100/– कुल राशि रुपये 8,810/– जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कि प्रश्नाधीन भूमि के दस्तावेज न तो किसी सक्षम अधिकारी द्वारा परिबद्ध किया गया है और न ही कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रश्नाधीन दस्तावेज की जॉच करने का अधिकार नहीं था । यह भी कहा गया कि आवेदिका द्वारा दिनांक 30–8–07 को दस्तावेज पंजीकृत कराकर सम्पूर्ण मुद्रांक शुल्क अदा कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदिका से दुबारा मुद्रांक शुल्क नहीं लिया जा सकता है, इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कब्जा रहित अनुबंध पत्र पर एक प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय है और प्रश्नाधीन भूमि का विकय रुपये 8,81,000/– में किया जाना तय है । अतः आवेदिका को रुपये 8,810/– मुद्रांक शुल्क अदा करना था, परन्तु उसके द्वारा रुपये 100/– के मुद्रांक पत्र में विकय अनुबंध पत्र निष्पादित कराया गया है, इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत तर्को को समर्थन दिया गया ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदिका को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है,

जिसका जबाव आवेदिका द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । आवेदिका की ओर से बाद में विक्रय पत्र पंजीकृत कराये जाने का उल्लेख किया गया है, परन्तु किसी भी स्तर पर विक्रय पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विक्रय अनुबंध पत्र पर मुद्रांक शुल्क अधिरोपित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–9–2008 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर